आदेश की क्रम सं0 और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(Email id- dccourt.grd@gmail.com)

Miscellaneous Revision वाद सं0–09 / 2022

राजेश पासवान–बनाम–राज्य एवं हेमलाल पासवान

1	2	3
12.12.23	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अपीलार्थी राजेश पासवान द्वारा विविध वाद सं0 15/2021–22, हेमलाल पासवान–बनाम–राजेश पासवान वगैरह में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/s 75 C.N.T Act, r.w Section 16 of Tenant's Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 के तहत दायर किया गया है।	

अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपीलीय आवेदन को दिनांक–27.01.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई।

वाद कि संक्षिप्त विवरणी

अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दिनांक 23.02.2022 को नोटिस निर्गत कर वादगत भूमि की मापी का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में विविध वाद सं0 15/2021–22 दायर किया गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया ने अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दिनांक 23.02.2022 को निर्गत नोटिस को वाद में सुनवाई के उपरांत वाद में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 के द्वारा निरस्त कर दिया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा विविध वाद सं0 15/2021–22 में दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध यह Miscellaneous Revision वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दायर किया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा विविध वाद सं0 15/2021–22, हेमलाल पासवाद–बनाम–राजेश पासवान वगैरह में दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश में अंकित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

1. द्वितीय पक्ष (राजेश पासवान) के द्वारा सम्वत् वर्ष 2000 एवं 2004 में निर्गत हुकुमनामा को अपने दावे का आधार बनाया गया है जबकि प्लॉट–19 जंगली राय वगैरह को TS(P) सं0 67/1917 द्वारा हासिल ही नहीं था।
2. द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल हुकुमनामा की प्रति में खाता सं0 दर्ज नहीं है। इस प्रकार उनके द्वारा तथाकथित प्रस्तुत हुकुमनामा जाली प्रतीत होता है।

वाद कि सुनवाई के क्रम मे उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, लिखित अभिकथन, फर्द–सबूत/दस्तावेज, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन एव अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी,

पु०

सरिया द्वारा इस वाद के अपीलार्थी राजेश पासवान द्वारा जमा की गई वादगत भूमि से संबंधित दस्तवेजों की सम्पुष्टि किये बिना ही जमीन मापी का नोटिस निर्गत किया गया है, जिसे भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा विविध वाद सं0 15/2021–22 में दिनांक 10.08.2022 को आदेश पारित कर निरस्त किया जाना विधि सम्मत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी का यह अपील कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा विविध वाद सं0 15/2021–22 में दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वादगत भूमि की मापी की स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपने दावे/अपील के पक्ष में कई दस्तावेज समर्पित किये गये जो इस अपील वाद के संदर्भ में उपयुक्त/उपयोगी प्रतीत नहीं होता है, अतएव वे अविचारणीय है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अपीलार्थी के अपीलीय आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, सरिया को आदेश दिया जाता है कि, चुँकि दोनों पक्षो ने सादा हुकुमनामा को भूमि प्राप्ति का आधार बनाया है, इसलिए दोनों पक्षों के वादगत भूमि संबंधि दस्तावेजों को नियमानुसार जाँच करें एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश से सभी संबंधितों को अवगत कराया जाय।

विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशेधित।

ह0/- 12/12/23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ह0/- 12/12/23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 993 /न्या0 दिनांक 12/12/2023

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, सरिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 12/12/23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2023.12.26 13:47:28 +05:30
Location: 192.168.0.124